



2026:AHC: 19776-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस संख्या- 50/2026

जय प्रकाश लाल श्रीवास्तव

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रंजना सिंह, शेष नाथ सिंह यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

यह अपील पीड़ित के पिता अर्थात कथित रूप से अपहृत और मृत व्यक्ति के पिता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 413 के अंतर्गत अपर एवं जनपद सत्र न्यायाधीश, मऊ द्वारा सत्र विचारण संख्या - 1200156 वर्ष 2007 (राज्य बनाम अरविंद सिंह व अन्य) और सत्र विचारण संख्या - 1200011 वर्ष 2012 (राज्य बनाम प्रदीप यादव व अन्य) में पारित दोषमुक्ति के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.11.2025 के विरुद्ध दायर किया गया है, जो थाना रानीपुर, जनपद मऊ के मुकदमा अपराध संख्या - 0892 वर्ष 2007, धारा 147, 148, 149, 307, 363, 392, 411, 120बी, 302, 201 भा.द.सं. एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत पंजीकृत है, तथा प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या 2 से 9 को दोषसिद्ध भी किया।

वाद के तथ्य यह हैं कि दिनांक 08.08.2007 को दोपहर 12:00 बजे, एक भरत सिंह के कहने पर धारा 147, 148, 149, 364, 307, 379 भा.द.सं. एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या - 0892 वर्ष 2007 पंजीकृत किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया था कि दिनांक 08.08.2007 को शाम 7:30 बजे, सूचनादाता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ आलोक (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) के साथ अपनी मोटरसाइकिल हीरो होंडा संख्या यू.पी. 54 एफ 1767 पर मऊ से कझा लौट रहे थे, तभी काले रंग की बोलेरो कार में सवार पाँच से छह व्यक्तियों ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दिया। सूचनादाता कूदकर भाग

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया और खुद को बचाने में सफल रहा, लेकिन उसने देखा कि मृतक मोटरसाइकिल के साथ गिर गया था और उसे हमलावरों ने बोलेरो कार में डाल दिया, जो मौके से भाग गए। हमलावरों के समूह का हिस्सा रहे दो व्यक्ति मोटरसाइकिल भी ले गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना सुबह 10:30 बजे हुई थी। सूचनादाता ने दो हमलावरों की पहचान अरविंद सिंह और मिंटू सिंह के रूप में भी की और यह भी कहा कि वह अन्य हमलावरों की पहचान कर सकता है।

तत्पश्चात, विवेचना के बाद, शुरू में धारा 147, 148, 149, 307, 364, 392, 411 और 120-बी भा.द.सं. एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन बाद में धारा 302 और 201 भा.द.सं. को शामिल करते हुए एक पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया। विवेचना के दौरान, मोटरसाइकिल भी कथित रूप से बरामद की गई और एक फर्द बरामदगी तैयार की गई, जिस पर एक राजेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो कथित तौर पर एक स्वतंत्र साक्षी था। एफ.आई.आर. में संदर्भित मोटरसाइकिल प्रमोद यादव, अर्थात् विपक्षी संख्या 6 और वाद के अभियुक्तों में से एक की निशानदेही पर बरामद किया गया था। मजिस्ट्रेट ने आरोप-पत्र पर प्रसंज्ञान लिया और वाद विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया और परिणामस्वरूप, अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 363, 392, 411, 120बी, 302, 201 भा.द.सं. एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या 1200156 वर्ष 2008 और 1200011 वर्ष 2012 पंजीकृत किए गए। सत्र विचारण संख्या 1200156 वर्ष 2008 विपक्षी संख्या 2 से 8 और बृज मोहन राजभर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसकी विचारण के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसके विरुद्ध विचारण को उपशमित घोषित कर दिया गया था। सत्र विचारण संख्या 1200011 वर्ष 2012 प्रदीप यादव, विपक्षी संख्या 9 और दिलीप यादव, संदीप कुमार सिंह एवं मिंटू मिश्रा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। दिलीप यादव और मिंटू मिश्रा फरार हो गए थे, इसलिए विचारण उनकी अनुपस्थिति में आगे बढ़ा और संदीप कुमार सिंह का वाद सत्र विचारण संख्या 1200011 वर्ष 2012 से अलग कर दिया गया और सत्र विचारण संख्या 0099 वर्ष 2025 के रूप में पंजीकृत एक अलग वाद के रूप में जारी रखा गया। अभियुक्तों/विपक्षीगण ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.11.2025 के माध्यम से अभियुक्तों/विपक्षीगण को दोषमुक्त कर दिया और निर्देश दिया कि दिलीप यादव और मिंटू मिश्रा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा 299 के अंतर्गत कार्यवाही जारी रखी जाए। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वर्तमान अपील दिनांक 06.11.2025 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

अपना वाद सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने 14 साक्षीगण को परीक्षित किया, सूचनादाता को पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में परीक्षित किया गया। मृतक के भाई को पी.डब्ल्यू.-5 के रूप में और मृतक के पिता को पी.डब्ल्यू.-6 के रूप में परीक्षित किया गया। पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-3, पी.डब्ल्यू.-4 और पी.डब्ल्यू.-7 से पी.डब्ल्यू.-10 स्वतंत्र साक्षी थे। एफ.आई.आर. के लेखक को पी.डब्ल्यू.-12 के रूप में परीक्षित किया गया और वाद के तीनों विवेचना अधिकारियों को पी.डब्ल्यू.-11, पी.डब्ल्यू.-13 और पी.डब्ल्यू.-14 के रूप में परीक्षित किया गया। पी.डब्ल्यू.-10 को अभियुक्तों में से एक की निशानदेही पर बरामद मोटरसाइकिल की फर्द बरामदगी का साक्षी भी बताया गया था और इसे विचारण न्यायालय में प्रदर्शक-6 के रूप में चिह्नित किया गया था। विचारण के दौरान, पी.डब्ल्यू.-2 से पी.डब्ल्यू.-4, पी.डब्ल्यू.-7 से पी.डब्ल्यू.-10 ने अभियोजन के वाद का समर्थन नहीं किया और उपरोक्त साक्ष्यों में से कुछ ने विवेचना अधिकारी की केस डायरी में दर्ज और अभियोजन द्वारा दावा किए गए अनुसार कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। पी.डब्ल्यू.-10 ने ऊपर संदर्भित फर्द बरामदगी पर अपने हस्ताक्षरों से भी इनकार कर दिया।

जहाँ तक पी.डब्ल्यू.-1 के साक्ष्य का संबंध है, अपनी गवाही में साक्षी ने कहा कि वह हमलावरों को नहीं पहचान सका क्योंकि वह भागने में सफल होने के बाद घटना स्थल से बहुत दूर था। पी.डब्ल्यू.-1 की गवाही, जैसा कि विचारण न्यायालय के निर्णय में दर्ज है और जिसकी सत्यता से अपीलार्थी द्वारा इनकार नहीं किया गया है, उसके साक्ष्य में कई विसंगतियां और विरोधाभास दिखती हैं। एक स्थान पर साक्षी कहता है कि घटना होने से पहले अरविंद सिंह को घटना स्थल पर देखा गया था, लेकिन यह भी कहता है कि उसने घटना स्थल पर मिंटू सिंह को नहीं देखा। तत्पश्चात, साक्षी ने यह भी कहा कि उसने घटना स्थल पर अरविंद सिंह और मिंटू सिंह को नहीं देखा। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने मिंटू सिंह, अर्थात् विपक्षी संख्या 2 को पहचाना और न्यायालय में उसकी पहचान किया, जबकि साथ ही इस बात से इनकार भी किया कि उसने मिंटू सिंह को घटना स्थल पर देखा था। साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि उसने विवेचना अधिकारी को कोई बयान दिया था, जिसमें सूचित किया गया था कि उसने मिंटू सिंह और अरविंद सिंह को घटना स्थल पर देखा था। साक्षी ने इस बात से भी इनकार किया कि उसने पी.डब्ल्यू.-5 को सूचित किया था कि मिंटू सिंह और अरविंद सिंह को घटना स्थल पर देखा गया था और यह भी कहा कि उसने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय उनके नामों का खुलासा नहीं किया था। अपनी गवाही में, साक्षी ने यह भी कहा कि उसने उन अभियुक्तों को नहीं पहचाना, जो साक्षी की मोटरसाइकिल ले गए थे और घटना में शामिल हमलावरों की संख्या का अंदाजा भी नहीं लगा सका। अपने साक्ष्य में साक्षी यह भी कहता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्ल्यू.-5 और पुलिस कर्मियों के बीच विचार-विमर्श के बाद पंजीकृत और तैयार किया गया था।

पी.डब्ल्यू.-5 और पी.डब्ल्यू.-6, जो मृतक के भाई और पिता हैं, ने अपराध करने के लिए अभियुक्तों के उद्देश्य को सिद्ध करने वाले विभिन्न तथ्य बताए। साक्षीगण ने कहा है कि मृतक और अभियुक्तों के बीच कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और भूमि विवाद भी थे।

इस स्तर पर, यह ध्यान देना भी प्रासंगिक होगा कि बचाव पक्ष ने धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने स्पष्टीकरण में अभियोजन के वाद से इनकार करने के अलावा साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। सभजीत सिंह को बचाव पक्ष द्वारा डी.डब्ल्यू.-1 के रूप में एक साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि चंद्र भान यादव, जो में अभियुक्तों में से एक है और वर्तमान अपील में विपक्षी संख्या 7 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, वह घटना के समय पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र के कार्यालय में ड्यूटी पर था।

उपरोक्त विवरण दर्शाता है कि अभियोजन स्पष्ट रूप से ऐसा कोई साक्षी प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसकी गवाही किसी भी अभियुक्त को संलिप्त करने के लिए पर्याप्त हो सके। यहाँ तक कि वाहन की बरामदगी भी अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकी। पी.डब्ल्यू.-1, जो अभियोजन द्वारा परीक्षित सबसे महत्वपूर्ण साक्षी था, वह भी अभियुक्तों द्वारा की गई अपनी प्रति-परीक्षा में टिक नहीं सका और उसने अरविंद सिंह और मिंटू सिंह को अभियुक्त के रूप में नामजद करने वाले एफ.आई.आर. संस्करण का समर्थन नहीं किया। वाद, स्पष्ट रूप से, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका था। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अपराध का उद्देश्य पी.डब्ल्यू.-5 और पी.डब्ल्यू.-6 द्वारा सिद्ध किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के वाद में, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समर्थन करने के लिए उद्देश्य एक प्रासंगिक कारक है। हालांकि, केवल उद्देश्य अपने आप में और अकेले अभियोजन के वाद को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियुक्तों को संलिप्त करने वाली किसी भी परिस्थिति को अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्पष्ट रूप से, अभियोजन अपने वाद को संदेह से परे सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा। अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन में कोई त्रुटि दिखाने में सक्षम नहीं रहा है।

उपरोक्त सभी कारणों से, हमें विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता नहीं मिला है। अपील में उठाए गए आधार हमें साक्ष्य का पुनः परीक्षण करने और विचारण न्यायालय के निष्कर्षों के स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित करने के लिए राजी नहीं करते हैं।

अपील में गुण-दोष का अभाव है और इसे विपक्षीगण को नोटिस जारी किए बिना संक्षिप्त रूप से **खारिज** किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद पत्रावली को अभिलेखागार में संचित किया जाए।

29 जनवरी, 2026

विपाशा

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)